

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

पत्रांक :- आर.(एस.बी.टी.ई.)-01/2011 पार्ट-3- 893 /पटना, दिनांक :- 15/05/2017

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक,
सह सदस्य सचिव, संबद्धन समिति,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

Principal
Sityog Inst of Tech, Aurangabad (2nd Shift) (178)

विषय :- Sityog Inst of Tech, Aurangabad (2nd Shift) को सत्र 2017-18 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद से औपबंधिक संबद्धन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के संबद्धन समिति द्वारा दिनांक-15/05/2017 के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार Sityog Inst of Tech, Aurangabad (2nd Shift) को अभातशिप से प्राप्त अनुमोदन पत्रांक-F.No. Northern/1-3324708251/2017/EOA दिनांक-30.03.2017 में अंकित शाखाओं का, शैक्षणिक अनुश्रवण समिति द्वारा दिनांक-20.04.2017 के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु सत्र 2017-18 के लिए राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद से निम्नलिखित शर्तों के साथ औपबंधिक संबद्धता प्रदान किया जाता है।

- (1) संस्थान को समय-समय पर निर्गत विभागीय एवं अभातशिप का निदेश का पालन करना होगा।
- (2) संस्थान को पाठ्यक्रम, परीक्षा एवं ऐकेडमिक कैलेंडर का अनुपालन राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के निदेशानुसार सुनिश्चित करना होगा।
- (3) विभागीय अधिसूचना संख्या-2143, दिनांक-12/10/07 द्वारा अधिसूचित संबद्धता Norms & Guidelines में उल्लेखित सभी बिन्दुओं को अक्षरशः पालन करना संस्थान का दायित्व होगा।
 - i. प्रत्येक निजी संस्थानों के वेबसाईट पर संस्थानों में कार्यरत शिक्षक/अनुदेशक/लिपिक/प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान एवं तकनीकी) आदि का नाम, फोटो, पदनाम के साथ upload किया जाए।
 - ii. तीन माह के बाद सभी संस्थानों का पुनः निरीक्षण कराया जाएगा।
 - iii. सभी निजी संस्थानों के प्राचार्य को यह निदेश दिया जाता है कि संस्थान के निरीक्षण के क्रम में सभी कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी संस्थान में उपस्थित रहेंगे।
 - iv. निरीक्षण के क्रम में प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपलब्ध उपकरणों की सूची निरीक्षण समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाए एवं एक प्रति S.B.T.E. को भी उपलब्ध कराया जाए।
 - v. संस्थान के प्राचार्य प्रयोगशाला/कर्मशाला/वर्गाध्ययन कक्ष पूरी तरह से well maintained and upto date रखेंगे।

- vi. S.B.T.E. के वेबसाईट पर उपलब्ध प्रयोगशाला/कर्मशाला हेतु उपकरणों की सूची के अनुसार सभी निजी संस्थान अपने प्रयोगशाला/कर्मशाला में उपकरण/मशीन आदि अधिष्ठापित करेंगे।
- vii. संस्थान के छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल के गुणवत्ता के उन्नयन हेतु आवश्यक समीक्षा एवं कार्रवाई संस्थान अपने स्तर से करेंगे।

Deficiency 2016-17 ~ Electrical workshop should be enriched.


उक्त Deficiency 16-17 का निराकरण तीन माह के अन्दर कर दिया जाए। साथ ही इस आशय का शपथ पत्र पर्षद को उपलब्ध कराया जाए।

Deficiency 2017-18 ~ A lot of requirments are yet to met.

उक्त Deficiency 2017-18 का निराकरण चार माह के अन्दर करके पर्षद को सूचित किया जाए।

उपर्युक्त Deficiency के निराकरण के प्रत्याशा में औपबंधिक संबद्धता सत्र 2017-18 के लिए ही प्रभावी होगी।

विश्वासभाजन,



परीक्षा नियंत्रक,


सह सदस्य सचिव, संबद्धन समिति।

ज्ञापांक :- आर.(एस.बी.टी.ई.)-01/2011 पार्ट-3- 893

/पटना, दिनांक :-15/05/2017

प्रतिलिपि :-

1. आप्त सचिव, अध्यक्ष, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना
2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना
3. सदस्य सचिव, अभातशिप, सातवाँ तल्ला, चन्द्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली, 110 001 को उनके पत्रांक-F.No. Northern/1-3324708251/2017/EOA दिनांक-30.03.2017 के अनुपालन में।
4. रिजनल ऑफिसर, राजकीय पोलिटेकनिक परिसर निकटस्थ प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, विकास नगर, कानपुर-208024 को AICTE के पत्रांक-F.No. Northern/1-3324708251/2017/EOA दिनांक-30.03.2017 के अनुपालन में सूचनार्थ।
5. राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।



परीक्षा नियंत्रक,

सह सदस्य सचिव, संबद्धन समिति।